हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 25 अप्रैल, 2011

संख्या वैब 2/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2011. — संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची क और ख में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो वित्तायुक्त एंव प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में.–

(I) अनुसूची क में, खाना 1, 2 व 3 के नीचे, क्रम संख्या 9 के पश्चात् तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी और अप्रैल, 2011 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
"10	जब राज्य में सभी प्रकार की मदिरा, प्रथम बार बेची गई अर्थात् देशी मदिरा के मामले में, आसवनियों द्वारा तथा भारत में बनी विदेशी स्पिरिट के मामले में अनु0 1–ख तथा अनु0– 1 क ख, तथा बीयर तथा शराब इत्यादि के मामले में अनु0 –1 ख–1 तथा अनु0 –1कख–1, आर. टी. बी. (पीने के लिए तैयार पेय के लिए) अनु0 –1 ख1–क, तथा आयतित विदेशी मदिरा (बोतल के रूप में) अनु0–1 ख च द्वारा बेची गई के सिवाए	4 प्रतिशत अधिभार सहित, यदि कोई हो।'';

(II) अनुसूची ख में, खाना 1 और 2 के नीचे, क्रम संख्या 31क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

1	2
"31 ख	(i) अनुसूची ग में क्रम संख्या 4 क और अनुसूची क में क्रम संख्या 5 में दी गई प्रविष्टियों के अतिरिक्त भारत में बनी विदेशी मदिरा और देसी मदिरा (जिस पर राज्य आबकारी शुल्क भुगतान किया गया हो) 01.04.2009 से 31.03.2010 तक लागू समझी जाऐगी, (ii) अनुसूची क में, क्रम संख्या 5 और 10 में दी गई प्रविष्टियों के अतिरिक्त भारत में बनी विदेशी मदिरा और देसी मदिरा (जिस पर राज्य आबकारी शुल्क अदा किया गया हो) 01.04.2010 से लागू की गई समझी जाएगी ।"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।